International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume III, Issue IV, Jul.-Aug. 2016 Available online at: www.ijaur.com

"भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया एवं मतदान"

डॉ. कार्तिकेश्वर प्रसाद तिवारी
सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र
श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश :. चुनाव या निर्वाचन, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता (लोग) अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोक विधायिका (और कभी–कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तियों का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है। भारत एक गणतांत्रिक देश है, एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और मत देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है, यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है।

मुख्य शब्द – भारतीय लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया एवं मतदान।

प्रस्तावना –

मतदाता और उसका मत ही भारतयी लोकतंत्र या किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का मूल आधार होता है। पिछले कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की मतदान में कम होती रुचि जनता की लोकतंत्र में घटती आस्था को इंगित करती है। इसमें देश के राजनेताओं का चिंतित होना स्वभाविक है। इसी चिंता को खत्म करने के लिए पिछले दो सालों से सरकार 25 जनवरी के दिन कई बड़े कदम उठाती है ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें, खासकर युवा वर्ग, सरकार की यह कोशिश रंग भी लायी है जिसका प्रमाण है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग–अलग स्तर हैं लेकिन मुख्य तौर पर संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा तथा पृथक–पृथक राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपतीय अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई।

लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग–अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग–अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग–अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं – नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते हैं, ताकि जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1991 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार–चार दिनों का समय दिया गया था। परन्तु सामान्यतः यह कार्य दो दिनों में सम्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुनः मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केन्द्रों में मतदान का समय सामान्यतः सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है।

मतदान निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है जिसके द्वारा कोई समूह (जैसे कोई निर्वाचन क्षेत्र या किसी मिलन में इकट्टे लोग) विचार–विनिमय तथा बहस के बाद कोई निर्णय ले पाते हैं। मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करता है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था सभी चुनावों तथा सभी संसदीय या प्रत्यक्ष विधिनिर्माण में प्रयुक्त होती है।

अधिनायकवादी सरकार में अधिनायक द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों पर व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है, परन्तु अपने निर्णयों को आरोपित करने के अधिनायक के विभिन्न ढंग इस प्रकार के मतदान को केवल औपचारिक प्रविधि तक सीमित कर देते हैं। जनतंत्रात्मक सरकार में ही मतदान को प्रमुख क्षेत्र तथा महत्व प्राप्त होता है।

विश्लेषण –

आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के फलस्वरूप, आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रूप में, शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्राप्त करने के ढंग के रूप में, सामाजिक संघष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में, ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोषों को अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग के रूप में, मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है। हाल में, इस समस्या पर यथेष्ट ध्यान दिया जाने लगा है कि जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वे किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग लेने का कष्ट करते हैं। इस विषय में की गई खोज के अनुसार उन जनतंत्रात्मक देशों के लोग मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते हैं जहाँ "अनिवार्य मतदान" की व्यवस्था अपनायी गई है। अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विट्जरलैंड के सेंटगैलेन नामक कैंटन में व्यवहृत हुआ जिसके लिये सन् 1835 ई. में इसे कैंटन ने जिला परिषद् के चुनावों में अकारण भाग न लेने वालों के लिए विधान द्वारा अर्थदंड की व्यवस्था की। यह व्यवस्था स्विस नागरिकों को मताधिकार के उत्तरदायित्व का अनुभव कराने में सफल हुई है। साथ ही, इस व्यवस्था के फलस्वरूप मतदाताओं को मतदान में सम्मिलित होने के लिए उन्हें घर से बाहर लाने का राजनीतिक संगठनों का कार्यभार भी हल्का हुआ है। इसी प्रकार बवेरिया ने सन् 1881 ई. में, बुलगेरिया ने सन् 1882 ई. तथा बेल्जियम ने सन् 1893 ई. में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था अपनायी। बवेरिया की व्यवस्था के अनुसार यदि मतदाताओं की पूरी संख्या के एक तिहाई से अधिक लोग मतदान में भाग नहीं लेते तो अनुपस्थित मतदाताओं को पुनः चुनाव कराने का पूरा व्यय वहन करना पड़ेगा। बेल्जियम ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिये तीन दंड निर्धारित किए अंतर्विवेक पर – अर्थदंड, सार्वजनिक भर्त्सना तथा मताधिकार अपहरण।

भारतीय मतदाताओं का मतदान के प्रति घटते रूझान को दूर करने के लिए साल 2011 से भारतीय निर्वाचन आयोग ने हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मानने का निर्णय लिया है। दरअसल 25 जनवरी, 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। यह दिन भारत के सभी मतदाताओं के नाम है ताकि उन्हें लोकतंत्र के प्रति उनके दायित्वों की याद रहे और वह खुद इसके महत्व को समझ सकें। 26 जनवरी से पहले इस दिवस की प्रासंगिकता बेहद सटीक बैठती है।

भारत में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। हालांकि यह भी सच है कि देश की एक बड़ी आबादी अपनी उम्र का 18वां साल पूरी करने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में असफल रह जाती हैं। इस महत्वपूर्ण और जटिल समस्या से निपटने के लिए ही सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। आज जगह–जगह आपको ऐसे सेंटर मिलेंगे जहां मतदाता पहचान पत्र बनवाने के कार्य किए जाते हैं। हर जिले, ब्लॉक या गांव में जगह–जगह कैंप लगाकर भी इस कार्य को सम्पन्न किया जा रहा है।

भारत सरकार का यह जागरुकता अभियान अपने आप में एक उल्लेखनीय कदम है, परन्तु मतदाता सूची में नामांकन की प्रक्रिया में और भी कई ऐसी कठिनाइयां हैं जिन पर चुनाव आयोग और सरकार को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी निर्णय लेने की जरूरत है। शिक्षा का अभाव और सुदूर ग्रामीण और यहां तक कि शहरी गरीब बस्तियों में भी जन्म प्रमाणपत्र का न होना एक ऐसा बड़ा कारण है जिससे ग्रामीण और शहरी गरीबों, युवाओं और व्यस्कों की बड़ी संख्या अक्सर मतदाता सूची में नामांकन से वंचित रह जाती है। इसके अलावा काम की तलाश में एक बड़ी प्रवासी आबादी के मतदाता सूची में नामांकन की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण भी काफी बड़ी आबादी मतदाता बनने में वंचित रह जाती है।

निष्कर्ष –

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जब तक एक मतदाता को अपने मत का अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक भारत का सिस्टम बदलना मुश्किल है। सिस्टम को बदलने के लिए सभी को गणतंत्र का टीका लगाना होगा। मतदाताओं को समझना होगा कि उनका एक वोट केवल सरकार ही नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने का औजार भी बन सकता है और इसके जरिए खुद उस मतदाता का भाग्य भी बदल सकता है। फेसबुक, ट्विटर या बलॉगिंग जगत में भारतीय सिस्टम और गंदी राजनीति पर बड़ी–बड़ी बहस करने वाले अक्सर भारतीय गणतंत्र के इस यज्ञ में सिर्फ इसलिए वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उन्हें यहां लाइन में

लगना पड़ता है, कुछ देर के लिए अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुशासन का गणतंत्र से क्या वास्ता? लेकिन है, एक बहुत बड़ा संबंध है, जो लोग ऐसा करते हैं वह यह भूल जाते हैं कि अनुशासन के बिना किसी भी पराधीन देश को स्वतंत्रता नहीं मिली यहां तक कि भारत को भी आजादी के लिए गांधीजी द्वारा बनाए गए कड़े अनुशासन में रहना पड़ा था और इस आजादी को बनाए रखने में हमारी गणतांत्रिक प्रणाली बेहद अहम है। गणतांत्रिक प्राणाली तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब हर इंसान अपने मत का प्रयोग करें।

संदर्भ –

1. भारत का संविधान।
2. http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/facts.htm
3. https://hi.wikipedia.org/